



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 126346

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2390 वर्ष 2026

चंद्र राजपूत

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपने प्रधान सचिव (गृह) और अन्य के माध्यम से

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अतुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और एजीए. की दलीलें सुनीं और पूरे रिकॉर्ड को देखा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह तीसरी ज़मानत अर्ज़ी है। पहली ज़मानत अर्ज़ी इस न्यायालय की एक दूसरी बेंच ने 18.5.2022 के आदेश से खारिज कर दी थी (अपराधिक मिसलेनियस ज़मानत अर्ज़ी संख्या 4408/2019 - चंद्र बनाम यूपी राज्य और अन्य)। दूसरी ज़मानत अर्ज़ी भी इस न्यायालय की एक दूसरी बेंच ने 04.09.2025 के आदेश से खारिज कर दी थी (अपराधिक अपील संख्या 919/2024 - चंद्र राजपूत बनाम यूपी राज्य और अन्य)।

3. यह अपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत अपीलकर्ता चंद्र राजपूत ने दायर की है। इसका मकसद सहारनपुर के एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा 12.12.2025 को दिए गए ज़मानत खारिज करने के आदेश को रद्द करवाना है। यह आदेश मुकदमा अपराध संख्या 97/2019 (धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5; थाना- कुतुबशेर, ज़िला- सहारनपुर) में दिया गया था।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि चार्जशीट में 28 गवाह हैं और अब तक विचारण न्यायालय के सामने केवल छह गवाहों से ही पूछताछ हुई है, इसलिए निकट भविष्य में विचारण के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी पप्पू उर्फ टोनी उर्फ योगेश को इस न्यायालय की ही एक अन्य बेंच ने अपराधिक अपील संख्या 5256/2025 में 09.02.2026 को दिए गए आदेश के तहत पहले ही राहत दे दी है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करने वाला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दोषपूर्ण और गैर-कानूनी है, जिस पर इस न्यायालय को दखल देने की ज़रूरत है। अपीलकर्ता 14.02.2019 से जेल में बंद है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने ज़मानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों को गलत नहीं ठहरा सके।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता और मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि आवेदक की पहली ज़मानत अर्जी को इस न्यायालय की एक कोऑर्डिनेट बेंच ने 18.05.2022 के आदेश से खारिज कर दिया था। इसके बाद, दूसरी ज़मानत अर्जी को भी 04.09.2025 के आदेश से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक यह बताने में विफल रहा था कि वह अर्जी उसकी दूसरी ज़मानत अर्जी थी; यह आवेदक की तीसरी ज़मानत अर्जी है, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता ने ज़मानत के लिए मामला बना लिया है।

7. इसलिए, अपील **मंज़ूर** की जाती है और अपीलकर्ता की ज़मानत अर्जी को खारिज करने वाला विवादित आदेश रद्द किया जाता है।

8. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या में शामिल अपीलकर्ता - **चंद्र राजपूत** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे और नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई हो।

(iv) अपीलकर्ता ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता की रिहाई की तारीख से एक साल के भीतर विचारण पूरा करे।

अपीलकर्ता मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय में ज़मानत रद्द करने की अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

9 जून, 2026

एस.के.

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।